STN-227/19 शासन वि. पुरानिक सेन

Witness No. .....**07**........ for ....अभि.सा....................... Deposition taken the ......20.10.2021.....day of बुधवार Witness's apparent age ...... 50 वर्ष..... States on affirmation शपथ पूर्वक my name is .... **श्रीमती छन्नी बाई** Wife of.................उदे राम सेन .... occupation मजदूरी address.. ग्राम कुरूद थाना आरंग, जिला रायपुर छ.ग.

समय 12:50 बजे प्रारंभ

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक

1. **मै न्यायालय उपस्थित आरोपी पुरानिक सेन को जानती हूं वह रिश्ते मे मेरे समधी लगते हैं। मै मृतिका भुनेश्वरी सेन को भी जानती थी वह मेरी पुत्री थी।**

2. **मेरी पुत्री भुनेश्वरी का विवाह पुरानिक सेन के पुत्र के साथ हुआ था। मेरा दामाद सेलून का कार्य करता है। विवाह पश्चात् उनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। मेरी पुत्री के सास–ससुर उसके साथ झगड़ा करते थे। मै मेरी बेटी भुनेश्वरी को कुरूद ले आई थी और 8–10 दिन रखी थी फिर दामाद लेने आये तो दामाद के साथ लड़की को भेज दी थी। लड़की के जाने के 2–4 दिन बाद आरोपी पुरानिक सेन के बड़े बेटे नीरज सेन ने बताया कि मेरे पिता पुरानिक सेन ने आपकी पुत्री भुनेश्वरी को मार डाला है। पुछने पर बताया कि हसीया एवं लाठी से मार डालें है। उसके बाद मै और मेरे पति उदेराम अभनपुर पहुंचे। वहां पहुचने पर मेरी पुत्री भुनेश्वरी की मृत्यु हो गई**

थी। मैने देखा कि मेरी पुत्री भुनेश्वरी के सिर के पिछे और चेहरे मे चोट के निशान थे।

3. पुलिस ने मेरे समक्ष घटना के संबंध मे लिखापढ़ी किये थे एवं मेरा बयान भी दर्ज किये थे। मैने पुलिस को बयान दिया था कि आरोपी पुरानिक सेन ने मेरी पुत्री भुनेश्वरी की हत्या किया है। घ टना के संबंध मे पुलिस ने मेरे समक्ष पंचनामा कार्यवाही किया था, पंचनामा नोटिस प्रदर्श पी–1 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, पंचनामा प्रदर्श पी–17 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

4. मेरी लड़की का किस वर्ष मे शादी हुआ था मै नहीं जानती। मै अपने दामाद का नाम भी नहीं जानती। स्वतः कहती है कि गोलू करके जानती हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा मेरे समक्ष कभी भी मेरी पुत्री को किसी भी बात के लिए परेशान अथवा विवाद नहीं किया था। विवाह के लगभग 2–3 वर्ष बाद मै ग्राम मोहंदी अभनपुर गई थी तब मालुम चला था कि मेरी पुत्री से आरोपी का वाद विवाद हुआ था। यह कहना सही है कि पुरानिक सेन के द्वारा कभी भी मेरे समक्ष मेरी पुत्री के साथ विवाद नहीं किया गया है। स्वतः कहा कि झगड़ा होने के बाद वहां गई थी। यह कहना गलत है कि मै झगड़े के संबंध मे पुरानिक सेन के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई हूं। साक्षी अब कहती है कि मैने कोई शिकायत नहीं की थी मेरे परिवार के पुरूष सदस्य ने की थी क्योकि महिलाएं थाना नहीं जाती।

5. जब मैं गोदी का कार्य के लिए गई थी वहां से वापस आने पर लगभग 10–11 बजे के मध्य आरोपी का बड़ा पुत्र नीरज सेन के द्वारा मोबाईल पर घटना की जानकारी दिया था। यह कहना सही है कि घटना का सूचना प्राप्त होने पर मैं मौके पर नहीं गई थी अभनपुर अस्पताल गई थी। मै अस्पताल कितने बजे पहुंची थी मुझे याद नहीं है। मै और मेरा पति सरकारी अस्पताल अभनपुर पहुचे थे। जब हमलोग अस्पताल पहुचे तो मेरी लड़की के ससुराल वालों मे से केवल नीरज सेन जो मेरी लड़की का जेठ है वह उपस्थित था। मै थाना नहीं गई थी। मुझे आज दिनांक को याद नहीं है कि मैने प्रदर्श पी–1 पर अपना हस्ताक्षर कब और कितने बजे कहां पर की थी। प्रदर्श पी–17 पर अपना हस्ताक्षर पोस्टमार्टम मे ले जाने के पूर्व की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–17 पर पुलिस वाले क्या उल्लेखित किये है उसे मुझे पढ़कर नहीं बताए थे मुझे हस्ताक्षर करने बोले तो मैने हस्ताक्षर किया था।

6. मैने दो कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि मैने घटना को अपने ऑखों से नहीं देखा है। स्वतः कहा कि मैने अस्पताल मे अपनी लड़की को देखा था। मुझे आज याद नहीं है कि पुलिस वालों ने घटना के कितने दिन बाद मेरा कथन लेखबद्ध किया था। मेरा पुलिस कथन पुलिस वाले नया रायपुर मे लेखबद्ध किये थे ऐसा मुझे लगता है। जिस दिन मेरा कथन लेखबद्ध किया गया था उस दिन मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का कथन पुलिस वाले लेखबद्ध नहीं किये थे। साक्षी से पुछे जाने पर आपका पुलिस कथन लेखबद्ध

किये जाने के लिए आपके निवास स्थान पुलिस स्वयं आई थी अथवा नोटिस अथवा फोन पर बुलाये थे तब साक्षी का कहना है कि मै स्वयं होकर अपना कथन लेखबद्ध करवाने के लिए गई थी। मै पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए मैने अपना कथन लेखबद्ध करवाने के पश्चात् नहीं पढ़ी थी। मुझे आज याद नहीं है कि पुलिस वालों ने मेरा कथन पढ़कर सुनाया था अथवा नहीं। पुलिस वाले मेरा कथन मेरे बताए अनुसार लिखे थे अथवा नहीं उस समय मै चेत(पूरे होश) में नहीं थी।

<u>समय 12:45 बजे समाप्त</u>

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....